25.11.25	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी का प्रा. पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड [illegible]री
मांडल जिला. [illegible]ाड़ा

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– संजना जोशी आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या : – 285/25 प्रा.पत्र

1– श्री सोहन s/o श्री भागीरथ जाट निवासी–चांरखेड तहसील–माण्डल –प्रार्थी

बनाम

1– श्री तेजमल s/o श्री भंवरलाल जाट निवासी–चांरखेड तहसील–माण्डल (वगैरह) –विपक्षीगण
[पृष्ठांकित प्रा.पत्र संलग्न]

::प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956::

दिनांक:– 25.11.25

–:: आदेश ::–

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चांरखेड पटवार हल्का चांरखेड तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न. पृष्ठांकित पिछले पृष्ठ पर अंकित कुल किता 11 रकबा 3.9836 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.08.25 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चांरखेड पटवार हल्का चांरखेड तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. पृष्ठांकित पिछले पृष्ठ पर अंकित कुल किता 11 रकबा 3.9836 है0 भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लेसवा को 1400 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 2, 4, 6, लगायत 12 व 15 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा